

S. N. - 11

14 MAY 2001

Regn. Fee Charged
Sign. of Cashier

17157001

फार्म-1

हस्तांतरण विलेख

यह हस्तांतरण विलेख, एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "विक्रेता" कहा गया है (इसके अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है, उनके पदोन्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी समझे जाएंगे) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री/श्रीमती ----- का श्री

----- का पुत्र/का पुत्री/पत्नी/विधवा है और ----- का/की निवासी है, जिसे/जिन्हें इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है (इसके अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है, उसके/उनके परिचर, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिनी भी समझे जाएंगे) के बीच तारीख ----- को किया गया।

2. एक पक्षकार के रूप में विक्रेता, जिसे इसमें पट्टाकर्ता कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री ----- के पुत्र श्री ----- जिसे इसमें आगे पट्टाधारी कहा गया है, के बीच तारीख ----- को किए गये शाश्वत पट्टा करार विलेख द्वारा जो उप-रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय में बही सं. ----- जिल्द सं. ----- पृष्ठ सं. ----- पर क्रम सं. ----- पर तारीख ----- को रजिस्ट्रीकृत है (जिसे इसमें आगे उक्त "पट्टा विलेख" कहा गया है) तथा जो ----- में स्थित ----- मोटर या लगभग के पूंखण्ड या भूमि का टुकड़ा है तथा जो उक्त पट्टा विलेख की अनुसूची में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित है, उक्त पट्टा विलेख में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ----- वर्ष की अवधि के लिए, पट्टे के रूप में श्री ----- को (जिसे इसमें आगे "मूल पट्टेदार" कहा गया है) पट्टेदारित और हस्तांतरित किया गया था।

3. और तारीख ----- के नामांतरण/प्रतिस्थापन पत्र सं. ----- द्वारा क्रेता का/के नाम पिछली बार नामांतरित किया गया था/किए गए थे और उसे/उन्हें, उक्त पट्टा विलेख के अधीन पट्टा-धारक के सभी अधिकारों और दायित्वों के साथ वर्तमान पट्टेदार के रूप में अभिलिखित किया गया है।

4. और पट्टाकर्ता द्वारा उपरोक्त रूप में पट्टेदार के नाम के नामांतरण/प्रतिस्थापन के प्रति किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं की है या मूल पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का हित उत्तराधिकारी होने का किसी भी रीति में दावा नहीं किया है।

5. और विक्रेता ने, तारीख 15-4-92 को दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित लोक सूचना द्वारा जिसके इसमें इसके पश्चात लोक सूचना काता गया है, उसमें अंतर्विष्ट प्रतिपक्ष निबंधनों और शर्तों पर दिल्ली/नई दिल्ली में पट्टा सम्पत्तियों की बाबत अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के अग्र विनिरचय की घोषणा की है।

6. क्रेता ने तारीख ----- के मुखतारनामा के अधीन नियुक्त अपने अटार्नी के माध्यम से ऊपर निर्दिष्ट तारीख 15-4-92 को लोक सूचना के प्रत्युत्तर में, उक्त पट्टांतरित परिसर में विक्रेता के अधिकारों और हितों का क्रय करके उक्त पट्टांतरित परिसर की बाबत पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान किये जाने के लिए आवेदन किया है तथा विक्रेता, इसमें इसके पश्चात आने वाले निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त पट्टांतरित परिसर में अपने सभी अवशिष्ट और उत्तरभोगी अधिकारों और हितों का विक्रय करने के लिए सहमत हो गया है।

7. इसमें इसके पूर्व विलेख के अनुसरण में यह करार इस बात का साक्षी है कि इसके निष्पादन के पूर्व संदत्त रूपसे (केवल ----- रूपसे) की शर्तों के प्रतिफलस्वरूप (जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और आर्क्षिक करता है) तथा इसमें इसके पश्चात उल्लिखित सीमाओं, प्रसविदाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए, विक्रेता उक्त पट्टांतरित सम्पत्ति में, सभी अवशिष्ट और उत्तरभोगी अधिकार/हक और उक्त पट्टा विलेख के अधीन पट्टाकर्ता के हित, जिन्हें उक्त पट्टा विलेख तथा इसमें की अनुसूची में और अधिक रूप से वर्णित किया गया है क्रेता द्वारा अनन्य रूप से सदैव रखने और धारित करने के लिए क्रेता का प्रदत्त, हस्तांतरित, विक्रय, अंतरित, समनुदेशित, निर्मुक्त और अधिहस्तांतरित करता है : परन्तु यह हमेशा इस अपवाद के अध्याधीन होगा कि विक्रेता उक्त सम्पत्ति में या उसके नीचे की सभी खानों, खनिजों, कायले, गॉल्ड चारिंग, खनिज तेलों तथा किसी भी प्रकार के खदानों को अपने आरक्षित रखता है और भूमि की सतह को या तत्समय इस पर खड़े किसी भवन को कोई उर्ध्वधर सम्बल दिभे बिना या छोड़े बिना, उनकी तलारा करने, खनन क्रिया करने, उनको अधिप्राप्त करने, उन्हें ले जाने और उनका उपभोग करने के लिए विक्रेता को, उसके अधिकारों और कर्मचारों को वे सभी कार्य या बात करने का पूर्ण अधिकार और शक्ति प्राप्त होगी जो इसके लिए आवश्यक या समीचीन हो, परन्तु सदैव यह कि विक्रेता संदेय सम्पत्ति कर या अन्य अधिरोपण के, जा उक्त सम्पत्ति की बाबत वेध रूप से संदेय हो जाए, और उस पर प्रभाव डालने वाले सभी लोक अधिकारों या सुखाचारों के अधीन रहते हुए, इसमें आरक्षित सभी या किन्हीं अधिकारों के प्रयोग के कारण उत्पन्न प्रत्यक्षतः हुए सभी नुकसान के लिए या उसके द्वारा उसको हुए किसी नुकसान के लिए क्रेता का युक्तियुक्त प्रतिकर देगा।

8. यह भी घोषणा की जाती है कि इस विलेख के स्वरूप और इसमें पूर्वोक्त शर्तों और प्रसविदाओं के अधीन रहते हुए, क्रेता इसमें इसके पूर्व वर्णित तारीख से उक्त सम्पत्ति का/के स्वामी हो जाएगा/जाएंगे और विक्रेता, उक्त पट्टा विलेख में, अंतर्विष्ट प्रसविदाओं और शर्तों द्वारा आरक्षित किराए की बाबत सभी भावी दायित्वों से अवमुक्त करता है जिनका उक्त पट्टांतरित सम्पत्ति के पट्टेदार के रूप में क्रेताओं द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है।

R

5. AND WHEREAS the vendor herein by a public Notice published in prominent newspapers of Delhi dated 15-4-92 hereinafter referred to as Public Notice, has announced his decision *inter alia*, to grant free hold rights in respect of the lease properties in Delhi/ New Delhi on certain terms & condition therein.

6. AND WHEREAS the Purchaser herein in response to the Public Notice dated 15-4-92 referred to above has acting through his attorney appointed under Power of Attorney dated applied to the Vendor for grant of free hold rights in respect of the said demised premises by purchasing the rights and interests of the Vendor in the said demised premises and the vendor has agreed to sell all his residuary & reversionary rights and interests in the said demised premises subject to the terms and conditions appearing hereinafter.

7. NOW IN THE PREMISES HEREIN BEFORE THIS INDENTURE witnesses that in consideration of the sum of Rs: 207,511/- (Rupees Two Lakh Seven Thousand Five Hundred and Eleven only) was paid before the execution hereof (the receipt whereof the Vendor hereby admits and acknowledges) and subject to the limitations, covenants and condition mentioned hereinafter the Vendor doth hereby grants conveys, sells, transfers, assigns, releases and assures unto the Purchaser(s) all the residuary reversionary rights, title and interests of the lessor under the said lease Deed in the demised property more fully described in the said Lease Deed as well as in the schedule hereunder together with all remainders, rents issues and profits thereof hereinafter referred to as the said property TO HAVE AND TO HOLD the same unto the Purchaser absolutely and for ever, subject always to the exception that the Vendor reserves unto himself all mines, minerals, coals, gold washings, earth oils and quarries of whatever nature lying in or under the said property together with full right and power at all times for the Vendor, its agents and workmen, to do all acts and things which be necessary or expedient for the purpose of searching for, working, obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving any vertical support for the surface of the land or for any building for the time being standing thereon provided always that the Vendor shall make reasonable compensation to the Purchaser(s) for all damages directly occasioned by the exercise of the rights hereby reserved or any of them for damage done unto him thereby subject to the payment of property tax or other imposition payable or which may become lawfully payable in respect of said property and to all public rights or easement affecting the same.

8. It is further declared that as a result of these presents and subject to the conditions and covenants stated herein above, the Purchaser(s) from the date mentioned hereabove will become owner of the said property and the Vendor doth hereby releases the Purchasers from all future liability in respect of the rent reserved but the covenants and conditions contained in the said Lease Deed required to be observed by the Purchaser(s) as a Lessee of the said demised property.



Handwritten initials 'GS'

Handwritten signature and date '26/8/92' and '26/8/92'

परन्तु शरैव यह कि क्रेता(ओ) द्वारा यह करार किया जाता है कि यदि बाद में यह पता चलता है कि उक्त पट्टा विलेख के अधीन पट्टेदार के रूप में क्रेता उक्त पट्टा विलेख के अधीन पट्टाकर्ता को किसी रकम का संदाय करने के लिए दायी था/थे किन्तु जिसका संदाय इस विलेख के निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय नहीं किया जा सका था तो विलेख का पेशी रकम के लिए उक्त सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।

10. इस विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रीकरण प्रभार यदि कोई हो, क्रेता(ओ) द्वारा वहन किए जाएंगे।

अनुसूची

सम्पत्ति की विशिष्टियां -----

उत्तर में -----

पूर्व में -----

दक्षिण में -----

पश्चिम में -----

इसके साथ स्वरूप

श्री/श्रीमती ----- क्रेता(ओ)

नाते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से


श्री/श्रीमती -----

Handwritten signature

नाम एवं पदनाम

भूमि तथा विकास कार्यालय,
राष्ट्रीय विकास एवं गरीबी उपरामन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ने
उपरोक्त सर्वप्रथम लिखित विलेख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

श्री/श्रीमती -----
श्री/श्रीमती -----
dated... 11/4/2001



File No. PS-001/851 dated 10/4/2001
Certified that the document is properly stamped and the amount of the Indian Stamp duty is Rs. 1050/-
Total - 630/-
dep. - 1680/-
Receipt PS-001/851 dated 11/4/2001

Govt. of India
Parliament Street, Jani Nagar House
New Delhi-110017

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed by the purchaser(s) that if it comes to light at any later date that Purchaser(s) as Lessee(s) under the said Lease Deed was/were liable to pay any amount to the lessor under the said Lease Deed but payment of which could not be made before or at the time of execution of these presents then for such amount the Vendor will have the first charge over the said property.

10. The Stamp Duty and registration charges, if any, upon this instrument shall be borne by the Purchaser(s).

SCHEDULE

Particulars of property ... H.N. 911, Tulak Nagar, New Delhi
Bounded on the North ...
Bounded on the East ...
Bounded on the South ...
Bounded on the West ...

IN WITNESS WHEREOF
Shri/Smt. ... the Purchaser(s)
Arun Kumar Gupta AND

I, Shri/Smt. ...


Name & Designation

Land & Development Officer,
Ministry of Urban Affairs and Poverty Alleviation,
Govt of India, New Delhi
For & on behalf of President of India.

Put their hands on the day and year first above-written.

IN THE PRESENCE OF:

Shri/Smt. USHA ARORA, W/O Dr. K. K. Arora, P.A. No. AA/P/AC/1085,
No. 25, V. K. Ash Park, New Delhi 11008
Shri/Smt. N. E. L. M. CAPTA, W/O. Arun Gupta, P.O. No. 12/237408,
B-1/514, Janakpuri, N.D. 58



Land & Development Officer